



प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ वकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि
1.	सतना मोब न:- 82260 12871	1. लक्ष्मी साड़ी भंडार प्रोप मोहन लाल धनवानी (मूल उधारकर्ता) 2. श्री मोहन लाल धनवानी पुत्र श्री सुगनामल सिंधी (मूल उधारकर्ता) 3. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी (गारंटीदाता) 4. श्री राजकुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी (गारंटीदाता) पता:- सिंधी कैंप, रसाला कॉलोनी, गुरुद्वारे के पास तहसील रघुराज नगर जिला सतना मध्य प्रदेश	रु. 11,34,678/- + ब्याज + विधिक व्यय  Property ID CBIN1199 21324 LAX	संपत्ति :- सीट क्र. 100A, प्लॉट क्र. 94, सिंधी कैंप पटवारी, गुरुद्वारे के पास हल्का क्र. 21, वार्ड क्र. 19 तहसील रघुराजनगर जिला सतना मध्य प्रदेश (म.प्र.), भू-स्वामी / बंधककर्ता :- श्री मोहन लाल धनवानी पुत्र श्री सुगनामल सिंधी, श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी एवं श्री राजकुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी, चतुरसीमा पूर्व :- सड़क, पश्चिम :- सड़क, उत्तर :- अर्जुनदास की भूमि, दक्षिण :- गुलब मल की भूमि, क्षेत्रफल :- 1792.00 वर्ग फीट / 166.00 वर्ग मीटर / प्रलक्षित कब्जा	रु 32,70,000/- रु 3,27,000/- रु 1,00,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के बारे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 033-22901004, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ईमेल- [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मोब:-91-9693096247) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबंधित शाखा - सतना (मो-918226012871), सीधी (मो-91-9179406871) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 4/03/2023 से 05/02/2023 को कर सकते हैं। संबंधित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Auth. Signatory)  
क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)  
Regional Office, Shahdol (M.P.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 25/02/2024  
स्थान: शहडोल (म.प्र.)





प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि
1.	इन्दोवार उमरिया मोब न:- 93407 47352	1. श्री विवेकानंद पाण्डेय पिता संतोष कुमार पाण्डेय (मूल उधारकर्ता) पता :- एन एच-20 वार्ड -10 ग्राम बरदोहा पोस्ट चिल्हारी मानपुर तहसील मानपुर ब्लॉक मानपुर जिला उमरिया मध्य प्रदेश 484661  <b>Property ID CBIN217827324VKP</b>	रु.11,28,508.00/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति :- खसरा क्र. 5/304/2/ख/1 पटवारी हल्का क्र.21 NH-10, ग्राम बरदोहा, पोस्ट चिल्हारी तहसील मानपुर ब्लॉक मानपुर जिला उमरिया मध्य प्रदेश (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल 9700 वर्गफुट / 0.090 हे०/ उस पर निर्मित भवन/ इकाई, ख. भू-स्वामी / बंधककर्ता :- श्री विवेकानंद पाण्डेय पिता संतोष कुमार पाण्डेय, चतुरसीमा उत्तर:- सखेन्द्र पिता सुदर्शन जाती ब्राम्हण की भूमि दक्षिण:- एन एच -10 रास्ता पूर्व:- संतोष पिता सुदर्शन की भूमि पश्चिम:- शेष भूमि जिसमे मकान स्थित है, कुल क्षेत्रफल 9700 वर्गफुट / 0.090 हे०/ उस पर निर्मित भवन/ इकाई /प्रलक्षित कब्जा	रु 13,50,000/-
					रु 1,35,000/-
					रु 50,000/-
2.	बिर सिंहपुर पाली- उमरिया मोब न:- 90982 51423	1. मनोज कुमार शर्मा पिता स्व श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता :- वार्ड क्र.7 कुमारहन मोहल्ला एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.) -484551 2. श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता (1) :- वार्ड क्र.7 कुमारहन मोहल्ला एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.) -484551 पता (2) :- वी/1925 गली माता वाली चौराखना चौदनी चौक दिल्ली G.P.O. नॉर्थ दिल्ली - 110006 3. श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता :- वार्ड क्र.7 कुमारहन मोहल्ला एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.) -484551 4. श्री अभय नारायण तिवारी पिता श्री आर.आर. तिवारी (गारंटीदाता) पता:- पेट्रोल पम्प के पीछे, पाली प्रोजेक्ट बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.) - 484551 (म.प्र.) 5. श्री महेंद्र पाठक पिता श्री के. के. पाठक (गारंटीदाता) पता:- वार्ड-9 मंगठार रोड बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया (म.प्र.) -484551	रु.24,95,370/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय  <b>Property ID CBIN0280788MANOJ</b>	संपत्ति :- खसरा क्र.खसरा क्र.779/1, वार्ड क्र.07 LIC एवं संगीता टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली उमरिया (म.प्र.)-484551 का कुल रकबा 2875.00 वर्गफुट, भू-स्वामी/ बंधककर्ता:- (1) श्री मनोज कुमार शर्मा पिता स्व श्री राम किशन शर्मा (2) श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व श्री राम किशन शर्मा (3) श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व श्री राम किशन शर्मा, चतुरसीमा उत्तर:- रास्ता दक्षिण:- गल्ला कुंभार की भूमि पूर्व:- रामचन्द्र गुप्ता की भूमि पश्चिम:- रामसखी की भूमि, क्षेत्रफल :- 2875.00 वर्ग फीट उस पर निर्मित भवन/ इकाई /प्रलक्षित कब्जा	रु 46,92,000/-
					रु 4,69,200/-
					रु 1,00,000/-
3.	जैतहरी अनुपपुर मोब न:- 82260 12835	1. श्री दिनेश कुमार मिश्रा पिता श्री राजेंद्र कुमार मिश्रा (मूल उधारकर्ता) 2. श्री राजेंद्र कुमार मिश्रा पिता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा (गारंटीदाता) पता:- ग्राम आदर्श ग्राम सिवनी पोस्ट ध्दंगावान थाना एवं तहसील जैतहरी जिला अनुपपुर (म.प्र.)	रु 19,51,133/-+ ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति :- खसरा क्र. 475/2(ख), वार्ड क्र। 18 ग्राम आदर्श ग्राम सिवनी पोस्ट ध्दंगावान थाना एवं तहसील जैतहरी जिला अनुपपुर (म.प्र.), भू स्वामी:- श्री राजेंद्र कुमार मिश्रा पिता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा, चतुरसीमा पूर्व :- केशरी सोनी का प्लॉट, पश्चिम :- सड़क, उत्तर :- दिनेश राठोर का प्लॉट, दक्षिण:- देवेन्द्र सिंह का प्लॉट, क्षेत्रफल :- 3875 वर्ग फीट/0.036 हे० उस पर निर्मित भवन/ इकाई /प्रलक्षित कब्जा	रु 16,50,000/-
					रु 1,65,000/-
					रु 50,000/-



**Property ID  
CBIN0281188DINES**

4.	जैतहरी अनुपपुर मोब न:- 82260 12835	1. मे. विपिन पुस्तक भंडार प्रोप विपिन अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल पता :-मेन मार्केट जैतहरी जिला अनुपपुर (म.प्र.) 2. श्री विपिन अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल पता :-वार्ड क्र.07 मेन मार्केट जैतहरी अनुपपुर (म.प्र.) 3. श्रीमति आशा अग्रवाल पति अशोक अग्रवाल पता:- वार्ड क्र.07 मेन मार्केट जैतहरी अनुपपुर (म.प्र.)जिला अनुपपुर (म.प्र.)	रु.20,19,237/- + ब्याज + विधिक व्यय  Property ID CBIN028 1188 VIPIN	संपत्ति :- खसरा क्र.3245/3776/1पटवारी हल्का क्र.22 पी डी एस गोदाम के पास मौज़ा सिवनी तहसील जैतहरी जिला अनुपपुर (म.प्र.), भू स्वामी :- श्रीमती आशा अग्रवाल पति श्री अशोक अग्रवाल,चतुरसीमा पूर्व :- सुधीर चौधरी की भूमि, पश्चिम :- शिव कुमार राठोर की भूमि, उत्तर :- मार्ग ( शिवनी-शक्तिटोला), दक्षिण:- बाबुराम राठोर की भूमि, क्षेत्रफल :- 23055 वर्ग फीट/0.214हे° उस पर निर्मित भवन/ इकाई / प्रलक्षित कब्जा	रु 68,00,000/-
					रु 6,80,000/-
					रु 1,00,000/-
5.	जैतहरी अनुपपुर मोब न:- 82260 12835	1. श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा पता:- वार्ड क्र. 12 ग्राम धनगवा थाना एवं तहसील जैतहरी जिला अनुपपुर मध्य प्रदेश  Property ID CBIN0281188AMAR	रु.11,86,595/- + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति :-खाता क्र.1055/1/1/1/1/1/2 ग्राम धनगवा पटवारी हल्का धनगवा क्र.37 , तहसील जैतहरी जिला अनुपपुर (म.प्र.), भू स्वामी :- श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा ,चतुरसीमा पूर्व :- पुरषोत्तम सोनी की आराजी, पश्चिम :- अनुसूईया बाई की आराजी, उत्तर विक्रेता की शेष आराजी, दक्षिण:- पी डबल्यू डी मार्ग, क्षेत्रफल :- 60*60=3600.00वर्ग फीट / 0.033हे° उस पर निर्मित भवन/ इकाई /प्रलक्षित कब्जा	रु 90,00,000/-
					रु 9,00,000/-
					रु 1,00,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 033-22901004, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ईमेल- [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा ( मोब:-91-9693096247) से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते है। शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : **संबन्धित शाखा - इन्दौर (मो.91-93407 47352), वीरसिंहपुर पाली (मो.91-90982 51423), जैतहरी ( मो-91-82260 12835)**, से बैंकिंग कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांक 4/03/2023 से 05/02/2023 को कर सकते हैं। ये सभी उपरोक्त संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।



दिनांक: 25/02/2024  
स्थान: शहडोल (म.प्र.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Auth. Signatory)  
क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)  
Regional Office, Shahdol (M.P.)  
कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 16/02/2024  
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
27/03/2024 समय: प्रातः 11.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक	26/03/2024 साँय 5.00 बजे तक

### नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार - दिनांक:-27/03/2024 को (प्रातः 11.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
- निविदाकर्ता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।  
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:  
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।  
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।  
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वालेट में अंतरित करना - ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।  
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।  
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
- ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी.ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता- 700020 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://ibapi.in> और <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-बिक्रय आईबीएपीआई के पोर्टल (<http://www.ibapi.in>) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।



6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए(EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (<https://www.mstcecommerce.com>) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि ( ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय दिनांक **26.03.2024 साँय 5.00 बजे तक**।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबंधित संपत्ति के सामने उद्धत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई-नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. ( प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढ़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL	CBIN0280787 / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समयावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्तियों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण शुल्क आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।



15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
16. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार, देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, [www.ibapi.in](http://www.ibapi.in) और [www.Centralbankofindia.co.in](http://www.Centralbankofindia.co.in) पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई-नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विद्युत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाय, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा - शहडोल (मो.91-62607 62262), पुष्पराजगढ़ (मो.91-76929 42990), लालपुर आई.जी.एन.टी.यू अमरकंटक ( मो-91-73898 64491) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री रामा कान्त मिश्रा ( प्राधिकृत अधिकारी) मो.9693096247, क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, ईमेल-rcvshahro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
For Central Bank of India

*(Signature)*

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/(Auth. Signatory)

क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)

Regional Office, Shahdol (M.P.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : शहडोल  
दिनांक : 05/01/2024





**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

**अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस**  
**ई-नीलामी दिनांक- 27/03/2024**

**क्षेत्रीय कार्यालय- बुढ़ार रोड,**  
**शहडोल, मध्य प्रदेश**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है वहाँ है और जो कुछ भी है, विस प्रकार है, एवं वास्तव रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	सांख्यिक अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
					अग्रिम धरोहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
1	इन्दौर उमरिया मो.नं.- 93407 47352	(1) श्री विवेकानंद पाण्डेय पिता संतोष कुमार पाण्डेय (मूल उधारकर्ता) पता: एन.एच.-20, वार्ड-10, ग्राम बरदीहा, पोस्ट चिल्हारी मानपुर, तहसील मानपुर, ब्लॉक मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484661	रु. 11,28,508/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 5/304/2/ख/1, पटवारी हल्का क्र. 21, एन.एच.-10, ग्राम बरदीहा, पोस्ट चिल्हारी, तहसील मानपुर, ब्लॉक मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल 9700 वर्गफुट/ 0.090 हे./ उस पर निर्मित भवन/इकाई, मू- स्वामी/बंधककर्ता- श्री विवेकानंद पाण्डेय पिता संतोष कुमार पाण्डेय । चतुर्सीमा: उत्तर- सखेन्द्र पिता सुदर्शन जाती ब्राह्मण की भूमि, दक्षिण- एन.एच.-10 रास्ता, पूर्व- संतोष पिता सुदर्शन की भूमि, पश्चिम- शेष भूमि जिसमें मकान स्थित है, कुल क्षेत्रफल: 9700 वर्गफुट/ 0.090 हे./ उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा।	रु. 13,50,000/-	रु. 1,35,000/-
2	बिरसिंहपुर पाली उमरिया मो.नं.- 90982 61423	(1) मनोज कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (2) श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: (1) वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (3) श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (4) श्री अमय नारायण तिवारी पिता श्री आर.आर. तिवारी (गारंटीदाता) पता: पेद्रोल पम्प के पीछे, पाली प्रोजेक्ट बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (5) श्री महेंद्र पाठक पिता श्री के.के. पाठक (गारंटीदाता), पता: वार्ड 9, मंगठार रोड, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551	रु. 24,95,370/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 779/1, वार्ड क्र. 07, एलआईसी एवं संगीता टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली उमरिया (म.प्र.)- 484551 का कुल रकबा 2875.00 वर्गफुट, मू- स्वामी/बंधककर्ता- (1) श्री मनोज कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा, (2) श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा, (3) श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व. राम किशन शर्मा । चतुर्सीमा: उत्तर- रास्ता, दक्षिण- गल्ला कुमार की भूमि, पूर्व- रामचन्द्र गुप्ता की भूमि, पश्चिम- रामसखी की भूमि, क्षेत्रफल: 2875.00 वर्गफुट/ उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा।	रु. 46,92,000/-	रु. 4,69,200/-
3	जैतहरी अनुपपुर मो.नं.- 82260 12835	(1) श्री दिनेश कुमार मिश्रा पिता श्री राजेंद्र कुमार मिश्रा (मूल उधारकर्ता) (2) श्री राजेंद्र कुमार मिश्रा पिता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा (गारंटीदाता) पता: ग्राम आदर्श ग्राम सिवनी, पोस्ट धंरागवान धाना एवं तहसील जैतहरी, जिला अनुपपुर (म.प्र.)	रु. 19,51,133/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 475/2(ख), वार्ड क्र. 18, ग्राम आदर्श ग्राम सिवनी, पोस्ट धंरागवान धाना एवं तहसील जैतहरी जिला अनुपपुर (म.प्र.), मू- स्वामी- श्री राजेंद्र कुमार मिश्रा पिता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा । चतुर्सीमा: पूर्व- केशरी सोनी का प्लॉट, पश्चिम- सड़क, उत्तर- दिनेश राठीर का प्लॉट, दक्षिण- देवेंद्र सिंह का प्लॉट, क्षेत्रफल: 3875 वर्गफुट/0.036 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा	रु. 16,50,000/-	रु. 1,65,000/-
4	जैतहरी अनुपपुर मो.नं.- 82260 12835	(1) मे. विपिन पुस्तक भंडार प्रोप. विपिन अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल पता: मेन मार्केट जैतहरी, जिला अनुपपुर (म.प्र.) (2) श्री विपिन अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल, पता: वार्ड क्र. 07, मेन मार्केट जैतहरी, अनुपपुर (म.प्र.) (3) श्रीमति आशा अग्रवाल पति अशोक अग्रवाल, पता: वार्ड क्र. 07, मेन मार्केट जैतहरी, अनुपपुर (म.प्र.)	रु. 20,19,237/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 3245/3778/1, पटवारी हल्का क्र. 22, पीडीएस गोदाम के पास, मीजा सिवनी, तहसील जैतहरी, जिला अनुपपुर (म.प्र.), मू- स्वामी- श्रीमति आशा अग्रवाल पत्नी श्री अशोक अग्रवाल । चतुर्सीमा: पूर्व- सुधीर चौधरी की भूमि, पश्चिम- शिव कुमार राठीर की भूमि, उत्तर- मार्ग (शिवनी- शक्तिटोला), दक्षिण- बाबुराम राठीर की भूमि, क्षेत्रफल: 23055 वर्गफुट/0.214 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा।	रु. 68,00,000/-	रु. 6,80,000/-
5	जैतहरी अनुपपुर मो.नं.- 82260 12835	(1) श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा पता: वार्ड क्र. 12, ग्राम धनगवा धाना एवं तहसील जैतहरी, जिला अनुपपुर (म.प्र.)	रु. 11,86,595/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 1055/1/1/1/1/1/2 ग्राम धनगवा, पटवारी हल्का क्र. 37, तहसील जैतहरी, जिला अनुपपुर (म.प्र.), मू- स्वामी- श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा । चतुर्सीमा: पूर्व- पुरभोराम सोनी की आराजी, पश्चिम- अनुसूईया बाई की आराजी, उत्तर- विक्रेता की शेष आराजी, दक्षिण- पी डब्ल्यू डी. मार्ग, क्षेत्रफल: 60X80= 3800.00 वर्गफुट/0.033 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा।	रु. 90,00,000/-	रु. 9,00,000/-
6	ब्योहरी शहडोल मो.नं.- 82260 12806	(1) श्री बसंत साह पुत्र श्री बुद्धा साह एवं श्रीमति राधा साह पत्नी श्री बसंत साह (मूल उधारकर्ता) पता: ग्राम उक्सा, पटवारी हल्का रसपुर, तहसील ब्योहरी, जिला शहडोल (म.प्र.)- 484774	रु. 11,58,969/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- ग्राम उक्सा खसरा क्र. 333/1/ग/4, पटवारी हल्का क्र. 69, रा.नि.मं. आखेटपुर, तहसील ब्योहरी, जिला शहडोल (म.प्र.) । मू- स्वामी/बंधककर्ता- श्री बसंत साह पिता बुद्धा साह । चतुर्सीमा: पूर्व- बुद्धी राम की आराजी, पश्चिम- ब्योहरी से बनसुकली के लिए सड़क, उत्तर- अजय कुमार पटेल की आराजी, दक्षिण- कृष्णा कुमार तिवारी की जमीन/बेटी बाई पटेल वगैरह की आराजी, क्षेत्रफल: 1528.00 वर्गफुट/0.014 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा	रु. 30,60,000/-	रु. 3,06,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.msctcecommerce.com/auction/home/lbapl/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें । नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 033-22901004, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल- [recvsahro@centralbank.co.in](mailto:recvsahro@centralbank.co.in)) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मो. 9893098247) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं । शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु: संबंधित शाखा- इन्दौर (मो. 91-9340747352), बिरसिंहपुर पाली (मो. 91-9098251423), जैतहरी (मो. 91-8226012835), ब्योहरी (मो. 91-8226012806) से संबंधित कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है । इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 04/03/2024 से 05/03/2024 को कर सकते हैं । वे सभी उपरोक्त संबंधित व्यक्तियों/ प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार की सरकारी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तैयार (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है ।  
दिनांक: 25/02/2024, स्थान: शहडोल (म.प्र.)

ARPIA

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

प्रत्येक उपस्थित रहकर दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। पर प्रताड़ित करना बंद किए जाने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन में 90 लोको पायलट उपस्थित रहे। उन्होंने कू नियंत्रक कार्यालय का घेराव किया।

पर प्रताड़ित करना बंद किए जाने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन में 90 लोको पायलट उपस्थित रहे। उन्होंने कू नियंत्रक कार्यालय का घेराव किया।

में खड़ा कराया।

क्षेत्रीय कार्यालय- बुढ़ार रोड, शहडोल, मध्य प्रदेश

# सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

## अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक- 27/03/2024

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रधारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार	मांग/बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
					अग्रिम धरोहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
1	इन्दोवर उमरिया मोब.नं.- 93407 47352	(1) श्री विवेकानंद पाण्डेय पिता संतोष कुमार पाण्डेय (मूल उधारकर्ता) पता: एन.एच.-20, वार्ड-10, ग्राम बरदोहा, पोस्ट चिल्हारी मानपुर, तहसील मानपुर, ब्लॉक मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484661	रु. 11,28,508/- + मविच्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 5/304/2/ख/1, पटवारी हल्का क्र. 21, एन.एच.-10, ग्राम बरदोहा, पोस्ट चिल्हारी, तहसील मानपुर, ब्लॉक मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल 9700 वर्गफुट/ 0.090 हे./ उस पर निर्मित भवन/इकाई, मू- स्वामी/बंधककर्ता- श्री विवेकानंद पाण्डेय पिता संतोष कुमार पाण्डेय । चतुर्सीमा: उत्तर- सखेन्द्र पिता सुदर्शन जाती ब्राम्हण की भूमि, दक्षिण- चतुर्सीमा: उत्तर- सखेन्द्र पिता सुदर्शन जाती ब्राम्हण की भूमि, पश्चिम- शेष भूमि जिसमें एन.एच.-10 रास्ता, पूर्व- संतोष पिता सुदर्शन की भूमि, क्षेत्रफल: 9700 वर्गफुट/ 0.090 हे./ उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा।	रु. 13,50,000/- रु. 1,35,000/- रु. 50,000	
2	बिरसिंहपुर पाली उमरिया मोब.नं.- 90982 61423	(1) मनोज कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (2) श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: (1) वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 पता: (2) वी/1925 गली माता वाली चौराखा चौदनी चौक, दिल्ली, जीपीओ नॉर्थ दिल्ली- 110006 (3) श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा (मूल उधारकर्ता) पता: वार्ड क्र. 7, कुमारहन मोहल्ला, एलआईसी ऑफिस एवं किरण टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (4) श्री अमय नारायण तिवारी पिता श्री आर.आर. तिवारी (गारंटीदाता) पता: पेट्रोल पम्प के पीछे, पाली प्रोजेक्ट बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551 (5) श्री महेंद्र पाठक पिता श्री के.के. पाठक (गारंटीदाता), पता: वार्ड 9, मंगठार रोड, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)- 484551	रु. 24,95,370/- + मविच्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 779/1, वार्ड क्र. 07, एलआईसी एवं संगीता टॉकीज के पास, बिरसिंहपुर पाली उमरिया (म.प्र.)- 484551 का कुल रकबा 2875.00 वर्गफुट, मू- स्वामी/बंधककर्ता- (1) श्री मनोज कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा, (2) श्री अजय कुमार शर्मा पिता स्व. श्री राम किशन शर्मा, (3) श्री विपिन कुमार शर्मा पिता स्व. राम किशन शर्मा । चतुर्सीमा: उत्तर- रास्ता, दक्षिण- गल्ला कुमार शर्मा पिता स्व. राम किशन शर्मा । चतुर्सीमा: उत्तर- रास्ता, दक्षिण- गल्ला कुमार शर्मा पिता स्व. राम किशन शर्मा । चतुर्सीमा: उत्तर- रास्ता, दक्षिण- गल्ला कुमार शर्मा पिता स्व. राम किशन शर्मा । चतुर्सीमा: उत्तर- रास्ता, दक्षिण- गल्ला कुमार शर्मा पिता स्व. राम किशन शर्मा । क्षेत्रफल: 2875.00 वर्गफुट/ उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा।	रु. 46,92,000/- रु. 4,69,200/- रु. 1,00,000	
3	जैतहरी अनूपपुर मोब.नं.- 82260 12835	(1) श्री दिनेश कुमार मिश्रा पिता श्री राजेंद्र कुमार मिश्रा (मूल उधारकर्ता) (2) श्री राजेंद्र कुमार मिश्रा पिता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा (गारंटीदाता) पता: ग्राम आदर्श ग्राम सिवनी, पोस्ट धंदागावन थाना एवं तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	रु. 19,51,133/- + मविच्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 475/2(ख), वार्ड क्र. 18, ग्राम आदर्श ग्राम सिवनी, पोस्ट धंदागावन थाना एवं तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.), मू- स्वामी- श्री राजेंद्र कुमार मिश्रा पिता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा । चतुर्सीमा: पूर्व- केशरी सोनी का प्लॉट, पश्चिम- सड़क, उत्तर- दिनेश राठौर का प्लॉट, दक्षिण- देवेंद्र सिंह का प्लॉट, क्षेत्रफल: 3875 वर्गफुट/0.036 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा	रु. 16,50,000/- रु. 1,65,000/- रु. 50,000	
4	जैतहरी अनूपपुर मोब.नं.- 82260 12835	(1) मे. विपिन पुस्तक भंडार प्रोप. विपिन अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल पता: मेन मार्केट जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) (2) श्री विपिन अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल, पता: वार्ड क्र. 07, मेन मार्केट जैतहरी, अनूपपुर (म.प्र.) (3) श्रीमति आशा अग्रवाल पति अशोक अग्रवाल, पता: वार्ड क्र. 07, मेन मार्केट जैतहरी, अनूपपुर (म.प्र.)	रु. 20,19,237/- + मविच्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 3245/3776/1, पटवारी हल्का क्र. 22, पीडीएस गोदाम के पास, मौजा सिवनी, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.), मू- स्वामी- श्रीमति आशा अग्रवाल पत्नी श्री अशोक अग्रवाल । चतुर्सीमा: पूर्व- सुधीर चौधरी की भूमि, पश्चिम- शिव कुमार राठौर की भूमि, उत्तर- मार्ग (शिवनी- शक्तिटोला), दक्षिण- बाबुराम राठौर की भूमि, क्षेत्रफल: 23055 वर्गफुट/0.214 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा।	रु. 68,00,000/- रु. 6,80,000/- रु. 1,00,000	
5	जैतहरी अनूपपुर मोब.नं.- 82260 12835	(1) श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा पता: वार्ड क्र. 12, ग्राम धनगवा थाना एवं तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)	रु. 11,86,595/- + मविच्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 1055/1/1/1/1/1/2 ग्राम धनगवा, पटवारी हल्का धनगवा क्र. 37, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.), मू- स्वामी- श्री अमरनाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री अम्मी लाल विश्वकर्मा । चतुर्सीमा: पूर्व- पुरषोत्तम सोनी की आराजी, पश्चिम- अनुसूईया बाई की आराजी, उत्तर- विक्रंता की शेष आराजी, दक्षिण- पी.डब्ल्यू डी. मार्ग, क्षेत्रफल: 60X60= 3600.00 वर्गफुट/0.033 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा।	रु. 90,00,000/- रु. 9,00,000/- रु. 1,00,000	
6	ब्योहरी शहडोल मोब.नं.- 82260 12808	(1) श्री बंसंत साहू पुत्र श्री बुद्धा साहू एवं श्रीमति राधा साहू पत्नी श्री बंसंत साहू (मूल उधारकर्ता) पता: ग्राम उक्सा, पटवारी हल्का रसपुर, तहसील ब्योहरी, जिला शहडोल (म.प्र.)- 484774	रु. 11,58,969/- + मविच्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- ग्राम उक्सा खसरा क्र. 333/1/ग/4, पटवारी हल्का क्र. 69, रा.नि.मं. आखेटपुर, तहसील ब्योहरी, जिला शहडोल (म.प्र.)। मू- स्वामी/बंधककर्ता- श्री बंसंत साहू पिता बुद्धा साहू । चतुर्सीमा: पूर्व- बुद्धी राम की आराजी, पश्चिम- ब्योहरी से बंसंत साहू की लिए सड़क, उत्तर- अजय कुमार पटेल की आराजी, दक्षिण- कृष्णा कुमार तिवारी की जमीन/बेटी बाई पटेल वीरार की आराजी, क्षेत्रफल: 1526.00 वर्गफुट/0.014 हे. उस पर निर्मित भवन/इकाई/ प्रलक्षित कब्जा	रु. 30,60,000/- रु. 3,06,000/- रु. 1,00,000	

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एम्पसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 033-22901004, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल- [recvsahro@centralbank.co.in](mailto:recvsahro@centralbank.co.in)) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मो. 9893098247) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबंधित शाखा- इन्दोवर (मो. 91-9340747352), बिरसिंहपुर पाली (मो. 91-9098251423), जैतहरी (मो. 91-8226012835), ब्योहरी (मो. 91-8226012808) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 04/03/2024 से 05/03/2024 को कर सकते हैं। ये सभी उपरोक्त संबंधित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 25/02/2024, स्थान: शहडोल (म.प्र.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी





**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

**अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस**  
**ई-नीलामी दिनांक- 15/03/2024 एवं 27/03/2024**

**क्षेत्रीय कार्यालय- बुढ़ार रोड,**  
**शहडोल, मध्य प्रदेश**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रमारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य
					अग्रिम धरोहर जमा राशि
					बिड वृद्धि राशि
					नीलामी दिनांक
6	सतना मोब.नं.- 82260 12871	(1) लक्ष्मी साड़ी भंडार प्रोप. मोहन लाल धनवानी (मूल उधारकर्ता) (2) श्री मोहन लाल धनवानी पुत्र श्री सुगनामल सिंधी (मूल उधारकर्ता) (3) श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी (गारंटीदाता) (4) श्री राजकुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी (गारंटीदाता). पता: सिंधी कैंप, रसाला कॉलोनी, गुरुद्वारे के पास, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र.)	रु. <b>11,34,678/-</b> + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति: सीट क्र. 100ए, प्लॉट क्र. 94, सिंधी कैंप पटवारी, गुरुद्वारे के पास हल्का क्र. 21, वार्ड क्र. 19, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.)। मू-स्वामी/बंधककर्ता- श्री मोहन लाल धनवानी पुत्र श्री सुगनामल सिंधी, श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी एवं श्री राजकुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी। चतुर्सीमा: पूर्व-सड़क, पश्चिम-सड़क, उत्तर-अर्जुनदास की भूमि, दक्षिण-गुलब नल की भूमि। क्षेत्रफल: 1792.00 वर्गफीट/166.00 वर्गमीटर/प्रलक्षित कब्जा	रु. <b>32,70,000/-</b> रु. <b>3,27,000/-</b> रु. <b>1,00,000</b> दि. <b>27-03-2024</b>

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एम्एसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 033-22901004, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल- [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मोब.: 9693098247) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूररे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु: संबन्धित शाखा- रीवा (मो. 91-7764058135), अमरपटन (मो. 91-9098264408), सतना (मो. 918226012871), सीधी (मो. 91-9179406871) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांक 04/03/2024 से 05/03/2024 को कर सकते हैं। क्र. 1 से 4 तक संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन पन्द्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है एवं क्र. 5 से 6 तक संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 25/02/2024, स्थान: शहडोल (म.प्र.)

ARPITA

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी



**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

**अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस**  
**ई-नीलामी दिनांक- 15/03/2024 एवं 27/03/2024**

**क्षेत्रीय कार्यालय- बुढ़ार रोड,**  
**शहडोल, मध्य प्रदेश**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार	मांग/बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य
					अग्रिम धरोहर जमा राशि
					बिड वृद्धि राशि
					नीलामी दिनांक
6	सतना मो.नं.- 82280 12871	(1) लक्ष्मी साड़ी भंडार प्रोप. मोहन लाल धनवानी (मूल उधारकर्ता) (2) श्री मोहन लाल धनवानी पुत्र श्री सुगनामल सिंधी (मूल उधारकर्ता) (3) श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी (गारंटीदाता) (4) श्री राजकुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी (गारंटीदाता), पता: सिंधी कैंप, रसाला कॉलोनी, गुरुद्वारे के पास, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र.)	रु. <b>11,34,678/-</b> + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति: सीट क्र. 100ए, प्लॉट क्र. 94, सिंधी कैंप पटवारी, गुरुद्वारे के पास हल्का क्र. 21, वार्ड क्र. 19, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.)। मू-स्वामी/बंधककर्ता- श्री मोहन लाल धनवानी पुत्र श्री सुगनामल सिंधी, श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी एवं श्री राजकुमार पुत्र श्री सुगनामल सिंधी। चतुर्सीमा: पूर्व-सड़क, परिघम- सड़क, उत्तर- अर्जुनदास की भूमि, दक्षिण- गुलब मल की भूमि। क्षेत्रफल: 1792.00 वर्गफीट/ 166.00 वर्गमीटर/ प्रलक्षित कब्जा	रु. <b>32,70,000/-</b> रु. <b>3,27,000/-</b> रु. <b>1,00,000</b> दि. <b>27-03-2024</b>

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/lbapl/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 033-22901004, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल- [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मो.नं.: 9693096247) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु: संबन्धित शाखा- रीवा (मो. 91-7764068135), अमरघाटन (मो. 91-9098264408), सतना (मो. 918226012871), सिंधी (मो. 91-9179406871) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांक 04/03/2024 से 05/03/2024 को कर सकते हैं। क्र. 1 से 4 तक संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन पन्द्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है एवं क्र. 5 से 6 तक संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 25/02/2024, स्थान: शहडोल (म.प्र.)

कुते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी